परिपत्र संख्या 19 /10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(507)विधि/न्याय/10/ 3023–3328 दिनांकः 5-7-2010

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
जयपुर

2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन
एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज0

3. समस्त उप पंजीयक,
राजस्थान

परिपत्र

विषयः विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने एवं निर्णयोपरांत कार्यवाही करने बाबत।

दिनांक 6.5.10 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई मासिक समीक्षा बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशत किया जाता है :–

1. विभाग के परिपत्र संख्या 23/09 के बिन्दु संख्या अ (1 से 3) के द्वारा निर्देशित किया गया था कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में 3 माह की अवधि में राज्यपक्ष की ओर से अनिवार्य रूप से जवाब पेश कर अवगत करावें, किन्तु प्रभारी अधिकारी के द्वारा न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में 3 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में शासन सचिव महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिये हैं कि ***जिन न्यायिक प्रकरणों में 3 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है उनमें 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करें।***

2. जिन न्यायिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय के द्वारा विभाग के विरूद्ध एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर रखा है, उनमें राज्यपक्ष की ओर से स्थगन आदेश खारिज कराने हेतु प्रार्थना–पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें, प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। स्थगन आदेश खारिज कराने के संबंध में किसी प्रकार की बाधायें और शंकायें हों तो मय सम्पूर्ण रिकार्ड के साथ उप विधि परामर्शी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावें। ***स्थगन आदेश खारिज कराने हेतु 2 सप्ताह के भीतर–भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय को सूचना देवें।***

3. जिन न्यायिक निर्णयों में राजकीय पक्ष की ओर से अपील दायर कर दी गई है और अपीलाधीन आदेश पर स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है, उनके संबंध में संबंधित राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर स्थगन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करें तथा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवावें। ***स्थगन आदेश प्राप्त करने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही 2 सप्ताह के भीतर पूर्ण की जावे।***

4. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त नवीन न्यायालयी प्रकरणों के नोटिस की प्रति अपेक्षित प्रारूप में न्याय विभाग को नियमित रूप से नहीं भिजवाई जा रही है।

इसलिये निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय नोटिस की प्रति नियमित रूप से न्याय विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :-

5. न्याय विभाग को Court Order Information की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः इसका प्रपत्र सुलभ सन्दर्भ हेतु भिजवाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की सूचना प्रभारी अधिकारी सीधे ही न्याय विभाग को निम्न प्रपत्र में अंकित करके भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को भी भिजवावें :-

Subject : Order in Writ/Appeal No.----------
Name of Parties----------
Name of Court- Hon'ble Supreme Court/High Court, Jodhpur/Jaipur.
The above case has been decided by the Hon'ble court in our Favour/against today. Action is being taken for obtaining copy of the order for further necessary action.

Signature of OIC
Name
Designation

6. न्याय विभाग के द्वारा Order Alert प्रपत्र पीले रंग का जारी किया गया है, जिसे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों के सन्दर्भ में प्रेषित किया जाता है। न्याय विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रपत्रों के साथ प्रतिउत्तर की शीट भी संलग्न कर भेजी जाती है, जिसे फाइकर उसी में वांछित प्रतिउत्तर भेजा जाना होता है। यह सूचना न्याय विभाग को समय पर नहीं भिजवाई जा रही है। इसलिये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस प्रपत्र के भाग में वांछित चार बिन्दुओं का ही हाँ/ना में टिक-मार्क करके ही अविलम्ब प्रतिउत्तर दिया जावे :-

The following action has been taken:

1. Applied for copy Y/N
2. Decided to appeal [ ] / not to appeal [ ] (mark in the relevant box)
3. Stay granted
4. If no appeal/no stay:

(a) Compliance made
(b) Filed application for extension of time (If there are strong grounds) Y/N
(c) Extension of time granted up to [/ /]
(d) Extension not granted and order complied with Y/N

Signature of OIC
Name
Designation

7. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की सूचना हेतु प्रारूप 1 से 5 *संलग्न* कर भिजवाया जा रहा है। कृपया उक्त प्रारूप में वांछित सूचना जरिये फैक्स भिजवाना सुनिश्चित करावें। *(संलग्न प्रारूप 1 से 5)*

महानिरीक्षक, 28/6/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

1. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की संख्या :–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बित न्यायिक प्रकरणों की संख्या
1-	उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	
2-	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर–	
	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ–	
3-	केन्द्रीय प्रशासकीय अधिकरण	
4-	राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण	
5-	सिविल न्यायालय	
6-	औद्योगिक न्यायाधिकरण	
7-	मोटर दुर्घटना दावाधिकरण	
8-	श्रम न्यायालय	
9-	मजदूरी भुगतान	
10-	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग	
11-	राज्य उपभोक्ता आयोग	
12-	जिला उपभोक्ता मंच	
13-	अन्य न्यायालय/अधिकरण	
	योग :–	

2. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय जिनमें राजकीय पक्ष की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है उनकी सूची :–

क्र. सं.	उच्चतम न्यायालय	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ
1-	2	3

3. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय/ अधिकरण में लम्बित न्यायिक प्रकरण जिनमें राजकीय पक्ष की ओर से जवाब पेश किया जाना बकाया है उनकी सूची :–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	उनवान	विवादित विषय	जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण	स्थगन की स्थिति	प्रभारी अधिकारी का नाम	राजकीय अधिवक्ता का नाम	मुख्यालय की पत्रावली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय/ अधिकरण में लम्बित न्यायिक प्रकरण जिनमें राजकीय पक्ष के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है उनकी सूची :–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	उनवान	विवादित विषय	जवाब पेश हुआ अथवा नहीं	स्थगन आदेश की दिनांक	प्रभारी अधिकारी का नाम	राजकीय अधिवक्ता का नाम	मुख्यालय की पत्रावली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. माननीय न्यायालयों में राजकीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील जिनमें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है उनकी सूची :–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	उनवान	विवादित विषय	निर्णय/आदेश जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है	अपील पेश करने की दिनांक	प्रभारी अधिकारी का नाम	राजकीय अधिवक्ता का नाम	मुख्यालय की पत्रावली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9